रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2019/माघ 2, 1940
No. 260] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2019/MAGHA 2, 1940

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

का.आ. 368(अ).—केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्याक का.आ. 5622(अ), तारीख 02 नवंबर, 2018 द्वारा निदेश दिया है कि ऐसी सभी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं की पूर्ति प्राप्त करती हैं और जिन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट कंपनियां" कहा गया है) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं की स्वीकृति या समझी गई स्वीकृति की तारीख से पैंतालीस दिन से अधिक से सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को संदाय नहीं किया है, निम्नलिखित कथन करते हुए कारपोरेट मंत्रालय को अर्धवार्षिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेंगी:

(क) देय संदाय की रकम; और

(ख) विलंब के कारण;

और, केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 405 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की उक्त धारा के अधीन "विनिर्दिष्ट कंपनियों" को उपरोक्त सूचना देना आवश्यक समझती है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 405 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का विनिर्दिष्ट संक्षिप्त नाम कंपनी (सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को संदाय के संबंध जानकारी देना) आदेश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर इस आदेश की अधिसूचना की तारीख तक सूक्ष्म या लघु प्रदायकर्ताओं के सभी बकाया देयों के ब्यौरे एमएसएमई प्ररूप-1 में फाइल करेगी।

3. प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी इस आदेश से उपाबद्ध एमएसएमई प्ररूप-1 के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए 31 अक्तूबर और अक्तूबर से मार्च की अवधि के लिए 30 मार्च तक, विवरणी फाइल करेगी।

एमएसएमई प्ररूप 1

(आदेश 2 और 3 देखें)

प्ररूप संख्या **[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 के अधीन जारी आदेश तारीख 22 जनवरी, 2019 के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	सूक्ष्म या लघु उद्यमों के बकाया संदाय के संबंध में रजिस्ट्रार को अर्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

टिप्पण: *चिन्हित सभी क्षेत्र अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

प्ररूप भाषा 0अंग्रेजी 0हिंदी

0 प्रारंभिक विवरणी 0 नियमित अर्धवार्षिक विवरणी

1. (क)*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

(ग) *कंपनी का स्थायी खाता संख्या (पैन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग)*कंपनी का ई-मेल पता

3. सूक्ष्म या लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को बकाया देयों की प्रारंभिक विवरणी.....

(क)*इस आदेश की अधिसूचना की तारीख को कुल देय बकाया रकम

(ख)*प्रदायकर्ताओं के नाम और देय संदाय की रकम की विशिष्टियां

वित्तीय वर्ष/ विशिष्टियां	**प्रदायकर्ताओं के नाम**	**प्रदायकर्ताओं के स्थायी खाता संख्याक**	**देय रकम**	**उस तारीख को विनिर्दिष्ट करें जिससे रकम देय है**

4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया देयों की नियमित विवरणी

I. अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल बकाया रकम

प्रदायकर्ताओं के नाम और देय संदाय की रकम की विशिष्टियां

वित्तीय वर्ष/विशिष्टियां	**प्रदायकर्ताओं के नाम**	**प्रदायकर्ताओं के स्थायी खाता संख्याक**	**देय रकम**	**उस तारीख को विनिर्दिष्ट करें जिससे रकम देय है**

IndiaCode

II. अक्तूबर से मार्च के दौरान कुल बकाया रकम

प्रदायकर्ताओं के नाम और देय संकाय की रकम की विशिष्टियां

वित्तीय वर्ष/विशिष्टियां	प्रदायकर्ताओं के नाम	प्रदायकर्ताओं के स्थायी खाता संख्याक	देय रकम	उस तारीख को विनिर्दिष्ट करें जिससे रकम देय है

5. *देय रकम के संदाय में विलंब के कारण

.....

6. संलग्नक, (यदि कोई हो)

(संलग्नक हटाएं)

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मेरी पूरी जानकारी के अनुसार प्ररूप और संलग्नकों में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

..... द्वारा

*डिजीटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएं

*पदनाम

*निदेशक का डीआईएन; या सीईओ के प्रबंधक या सीईओ का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 की उपधारा 4 के उपबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो ऐसी किसी सूचना या आंकड़ें जो किसी तात्विक बात के संबंध में गलत या अपूर्ण है, के लिए दंड का उपबंध करता है।

उपांतरण करें **प्ररूप चैक करें** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत**

.....

[फा. सं. 17/6/2017-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2019

S.O. 368(E).—Whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 5622(E), dated the 2nd November, 2018 has directed that all companies, who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprise suppliers exceed forty five days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) (hereafter referred to as "Specified Companies"), shall submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs stating the following:

(a) the amount of payment due; and

(b) the reasons of the delay;

IndiaCode

And whereas, in exercise of power under section 405 of the Companies Act, 2013, (18 of 2013) the Central Government, considers it necessary to require "Specified Companies" to furnish above information under said section of the Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 405 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Every specified company shall file in MSME Form I details of all outstanding dues to Micro or small enterprises suppliers existing on the date of notification of this order within thirty days from the date of publication of this notification.

3. Every specified company shall file a return as per MSME Form I annexed to this Order, by 31st October for the period from April to September and by 30th April for the period from October to March.

MSME FORM I

(see Order 2 and 3)

FORM NO.
[Pursuant to Order dated 22 January, 2019 issued under Section 405 of the Companies Act, 2013]

सत्यमेव जयते

Form for furnishing half yearly return with the registrar in respect of outstanding payments to Micro or Small Enterprises.

IndiaCode

Note – All fields marked in * are to be mandatorily filed.

Form language ○ English ○ Hindi

○ Initial return ○ regular half yearly return

1. (a) * Corporate Identity Number (CIN) of company

(b) Global location number (GLN) of company

(c) * Permanent Account Number (PAN) of company

2. (a) Name of the Company

(b) Address of the registered Office of the company

(c) *email id of the company

3. Initial return of outstanding dues to Micro or Small Enterprises Suppliers.

(a)* Total outstanding amount due as on date of notification of this order

(b).* Particulars of the name of suppliers and amount of payments due

Financial Years/Particulars	Name of Suppliers	PAN of Suppliers	Amount Due	Specify the date from which amount is due

4. REGULAR RETURN OF OUTSTANDING DUES TO MICRO AND SMALL ENTERPIRSES

I. total outstanding amount during April to September

Particulars of the name of suppliers and amount of payments due

Financial Years/Particulars	Name of Suppliers	PAN of Suppliers	Amount Due	Specify the date from which amount is due

IndiaCode

II. total outstanding amount during October to March

Particulars of the name of suppliers and amount of payments due

Financial Years/Particulars	Name of Suppliers	PAN of Suppliers	Amount Due	Specify the date from which amount is due

5. *Reasons for Delay in amount of payments due

6. Attachments (if any)

Remove Attachment

Declaration

It is hereby declared that the information given in the form and attachments are true and correct with the best of my knowledge.

* To be digitally signed by	
* Designation	
* DIN of the director; or PAN of the manager of CEO or CEO; or membership number of the company secretary	

Note: Attention is drawn to provision of sub section 4 of section 405 of Companies Act, which provide for punishment for any information statists which is incorrect or incomplete in any material respect.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

[F. No. 17/6/2017-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.22 22:04:47 +05'30'